


### संशोधन आदेश

आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी पूर्व कार्यालय आदेश के संमसंख्यक पत्रांक 87 दिनांक 29.1.19 के क्रम में राजस्थान पुनरीक्षित (यू.जी.सी.) वेतनमान नियम 2018 के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों, लाईब्रेरीयन एवं पी.टी.आई. के वेतन नियतन अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार (वेतन नियतन प्रकरणों में आक्षेपसुदा अथवा अन्य कारणों से लम्बित रहे) वेतन नियतन प्रकरणों के निस्तारण हेतु सम्भागवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में क्र.सं. 2 दिनांक 6.2.19 में आंशिक संशोधन करते हुए जयपुर संभाग में उदयपुर जिले के स्थान पर अलवर जिला पढा जावें।


  
वित्तीय सलाहकार

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ24(जे)(1)(यू.जी.सी.)लेखा/आकाशि/वेतननिर्धारण/2019/89 दिनांक - 1.2.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. बेवसाईट प्रभारी कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार